संख्या-17/2015/787/26-3-2015-10(36)/2002

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-81 के अन्र्तगत अत्याचारों से उत्पीडित अनुसूचित जनजातियों की सहायतार्थ योजनान्र्तगत आयोजनागत पक्ष में कोषागार नियम संख्या-27 के अन्र्तगत ब्यय की गयी धनराशि का पुर्नविनियोग के माध्यम से समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्र-372/ज.जा.वि./2014-15, दिनांक-17-03-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष की योजना/कार्यक्रम लेखाशीर्षक ''2225-02-796-07-प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति जो इस समय अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है के लिये सहायक अनुदान-0701-कृषि/बागवानी हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं-0702-कुटीर उद्योग हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में सम्भावित बचत कुल रूपया-5.00 लाख में से पुनर्विनियोग के माध्यम से रूपया-4.00 लाख (रूपये चार लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(3) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-15-अत्याचारो से उत्पीडित अनुसूचित जनजातियों की सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-09 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-536/दस-2014, दिनांक-28 मार्च 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृं0संख्या-17/2015/787(1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी /(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

अनुदान संख्या -81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति विकास विभाग) वित्तीय वर्ष 2014-15 प्रपत्र बी0एम0-9 (पार्ट-1) धनराशि हजार रू0 में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण				निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण- -02- अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 07- प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति जो इस समय अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है के लिये सहायक अनुदान-0701-कषि/बागवानी हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	500	250	250	250	250
-0702- कुटीर उ्योग हेतु अनुदान 20-सहायक- अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	500	250	150	150	350
योग	**1000**	**500**	**400**	**400**	**600**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक 15 डिजिट में आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये	वित्तीय वर्ष में प्रत्यासित	संक्रमण हेतु प्रस्तावित	वित्त विभाग द्वारा	संक्रमण् के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	उपलब्ध् अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	धनराशि (9-8)	अनुमोदित संक्रमण धनराशि	
7	8	9	10	11	12
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण- 02-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -15- अत्याचारों से उत्पीडित अनुसूचति जनजातियों की सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	650	1050	400	400	1050
योग	**650**	**1050**	**400**	**400**	**1050**

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नवत है:- प्रश्नगत योजना में मांग न होने तथा धनराशि अवमुक्त न होने के उपरान्त बचत हो रही है।

2- स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रश्नगत योजना में मांग न होने के फलस्वरूप अधिक व्यय हैं, परन्तु बजट प्राविधान रूपया-6.50 लाख ही है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 व 154 एवं 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0 संख्या-620/ई-3-536/दस-2015 दिनांक 28 मार्च , 2015

सेवा मे

महालेखाकार लेखा (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबादा

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग

(राम सुमेर)
अनु सचिव
वित्त विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2015/787/26-3-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथमउ0प्र0 ,इलाहाबाद।

2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

3- कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्र) अनुभाग-3

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्डफाइल्/ इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।